FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [illegible] मुकाम ....

चूनाराम .... बनाम .... बिरमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन .... नं. 294/19 .... सन 2019 ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/9/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/10/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	
18/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस डाक के जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ जिसका इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों के रास्ता मेड़ विपक्षीगणों के खेत में होते हुए प्रार्थी	

[illegible]

18.10.2019

Scanned by CamScanner

व विपक्षीगणों के खेतों के मेढ़ों पर जो पुरानी मेढ़े व डोले थे जो वर्तमान के बारिशों की वजह से बिखर गये हैं जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मेढ़ों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है तथा मेढ़ों पर किसी प्रकार की कोई पक्की पक्की गाड़ या चिन्ह आदी नहीं होने से विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती मेढ़ तोड़ देते हैं। एवम् बरसात होने पर काश्त कर लेते हैं जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। प्रार्थी इस कारण अपने खातेदारी खेतों की पक्की मेढ़बन्दी करवाना चाहते हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मेढ़बन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर मेढ़बन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का मेढ़बन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेढ़बन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश नकल से लिया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली कोमल कुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

18.10.2019

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

.कं / वाद / 2019 / 778 दिनांकः– 18/10/19

प्रार्थी वनाम विप्रार्थीगण

चूनाराम पुत्र धनाराम जाति जाट
निवासी उदरमोणियों की ढाणी

विरमाराम पुत्र नानगाराम वगैरा
निवासी उदरमोणियों की ढाणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 294 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा उदरमोणियों की ढाणी पटवार हल्का पूनियों का तला तहसिल गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 319,708 / 341 रकबा कमशः 22.17, 82.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमवन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 779 –83 दिनांकः– 18/10/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमवन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चूनाराम पुत्र धनाराम
4. विप्रार्थीगण विरमाराम पुत्र नानगाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु / गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.20 17:51:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: